न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः– 146/2024

दमनदीप सिंह पुत्र काका सिंह जाति जटसिख साकिन सिंहपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

––प्रार्थी

–:बनाम:–

1. मनप्रीत कौर पुत्री काका सिंह पत्नी सतनाम सिंह जातिजटसिख साकिन सिंहपुरा हाल आबाद 16A Mountain Ash DR Cooranbong NSW Australia 2265 जरिये मुखत्यार आम गुरदीप सिंह पुत्र तेजा सिंह निवासी 24 ओ भुटी वाल तहसील करनपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

–– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्व काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री हीरालाल बिरथलिया	––प्रार्थी
2. श्री महेन्द्र सैन	––अप्रार्थी संख्या 1
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा	––अप्रार्थी संख्या 2

–:: निर्णय ::–

दिनांकः– 26/11/24

प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से अन्तर्गत धारा 251–क राजस्व काश्तकारी अधिनियम अप्रार्थीगण के विरूद्ध अधिवक्ता श्री हीरालाल बिरथलिया के द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसके तथ्य निम्न प्रकार से है। प्रार्थी के नाम से एकल स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 7 बीएलडब्ल्यू के खाता सं. 187 के प.नं. 39/243 के किलानं. 1 ता 5, 6/1, 7 ता 10, 11/1, 20/2, 21/1 की कुल 2.549 हैक्ट. मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है।

प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 के नाम से संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 7 बीएलडब्ल्यू के खाता सं. 188 के प.नं. 38/242, 38/245, 39/244, 39/245 की कुल 11.680 हैक्ट. मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 आपस में सगे भाई बहन है। प्रार्थी के नाम से प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 मे वर्णित कृषि भूमि मे प्रार्थी व अप्रार्थी सं. [illegible] से वर्णित संयुक्त खाता की कृषि भूमि के प.नं. 39/244 के किला [illegible] उत्तरी पश्चिमी कुंटाउ से होते हुए प्रार्थी अपनी भूमि के प.नं. 39/243 [illegible] किला नं. 10, 11, 20, 21 में से जाता है। प्रार्थी की भूमि के प.नं. 39/243 के किला नं. 11, 20, 21 के प्रत्येक किल[illegible] 038–0.038 हैक्ट. दर्ज राजस्व अभिलेख से भी स्पष्ट है कि उक्त भूमि रास्ता के उपयोग व उपभोग के लिए की जाती है। प्रार्थी की बहन अप्रार्थी सं. 1 संयुक्त खाता की कृषि भूमि में से

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.11.26 16:43:25 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

रास्ता स्वीकृत किये जाने से पूर्णतः सहमत एवं रजामन्द है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु अन्य कोई सरल एवं नजदीक रास्ता नहीं लगता है। इसलिए प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि चक 7 बीएलडब्ल्यू के प.नं. 39/243 के किला नं. 10/.013 दक्षिणी दिशा मध्य तक, 11/1/.038, 20/2/.038, 21/1/.038, प.नं. 39/244 के किला नं. 1/2/.006 हैक्ट. उत्तर पश्चिमी कुंटाज में रास्ता स्वीकृत किया जावे। अप्रार्थी सं. 1 उक्त रास्ता की भूमि के एवज में पूर्व में प्रतिफल प्राप्त कर चुकी है। इसलिए उक्त रास्ता राजस्व अभिलेख में स्वीकृत कर रास्ता का अंकन राजस्व अभिलेख में किया जावे।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि चक 7 बीएलडब्ल्यू के प.नं. 39/243 के किला नं. 10/.013 दक्षिणी दिशा मध्य तक, 11/1/.038, 20/2/.038, 21/1/.038, प.नं. 39/244 के किला नं. 1/2/.006 हैक्ट. उत्तर पश्चिमी कुंटाज में रास्ता स्वीकृत किया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर वाद सारिस्ता रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री महेन्द्र सेन अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा मय जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो कि शामिल वाद पत्र है इकबाल/जवाब प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से है:-

प्रार्थना पत्र की दफा 1 में प्रार्थी के नाम से एकल स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 7 बीएलडब्ल्यू के खाता सं. 187 के प.नं. 39/243 के किला नं. 1 ता 5, 6/1, 7 ता 10, 11/1, 20/2, 21/1 की कुल 2.549 हैक्ट. मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है जो कि स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 राजस्व रिकॉर्ड की हद तक स्वीकार है। यह कि वाद पत्र की दफा 3 स्वीकार है। प्रार्थी व मिन अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि चक 7 बीएलडब्ल्यू के प.नं. 39/243 के किला नं. 10/.013 दक्षिणी दिशा मध्य तक, 11/1/.038, 20/21.038, 21/1/.038, प.नं. 39/244 के किला नं. 1/2/.006 हैक्ट. पश्चिमी कुंटाज में रास्ता स्वीकृत किया जावे तो मिन अप्रार्थी पूर्णतः सहमत एवं रजामन्द है। अप्रार्थी सं. 1 उक्त रास्ता की भूमि के एवज में पूर्व में प्रतिफल प्राप्त कर चुकी है इसलिए उक्त रास्ता राजस्व अभिलेख में स्वीकृत कर रास्ता का अंकन राजस्व अभिलेख में किया जावे। अतः इकबाल प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पारित किया जावे ।

प्रकरण में तहसीलदार पीलीबंगा के पत्रांक 736 दिनांक 21.10.2024 से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई है। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता मौके पर चालू है। प्रार्थी द्वारा सम्बन्धित काश्तकारों को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ता के अलावा अन्य कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं लगता है। प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते के अलावा कम दूरी का अन्य रास्ता नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। [illegible] रिपोर्ट इकबाल प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 1 मय शपथ पत्र का अवलोकन [illegible]। प्रार्थी प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 1 की सहमति एवं तहसीलदा[illegible] अधिनियम की धारा 251-क के तहत स्वीकृत किया [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.11.26 16:43:25 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

—:आदेश:—

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत ईकबाल प्रार्थना पत्र व तहसीलदार पीलीबंगा का अवलोकन व अध्ययन किया गया। तहसीलदार पीलीबंगा की रिपोर्ट व प्रस्तुत नक्शा एव मौका निरीक्षण के अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते के अलावा कम दूरी का रास्ता नही लगता है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता मौके पर चालू है। प्रार्थी द्वारा सम्बन्धित काश्तकारों को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ता के अलावा अन्य कोई स्वीकृतशुद्धा रास्ता नहीं लगता है। प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते के अलावा कम दूरी का अन्य रास्ता नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। इसलिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251—क स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251 क आरटीए के प्रावधानों के अनुरूप साबित होने पर स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि चक 7 बीएलडब्ल्यू के प.नं. 39/243 के किला नं. 10/.013 दक्षिणी दिशा मध्य तक, 11/1/.038, 20/2/.038, 21/1/.038, प.नं. 39/244 के किला नं. 1/2/.006 हैक्ट. उत्तर—पश्चिमी कुंटाउ में रास्ता स्वीकृति के आदेश ईकबाल प्रार्थना पत्र अनुसार बिना किसी प्रतिफल के पारित किये जाते है। आदशों की पालना में तहसीलदार उक्तानुसार रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकन करे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 26/11/24 सुनाया गया।

(अमिता बिश्नोई, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.11.26 16:43:25 IST
Reason: SelfAttested